Signature of Date of Parties or Order or Order or proceeding with Signature of Presiding Officer Pleaders where Proceeding necessary 13.12.2017 राज्य द्वारा ए डा पा आ। प्रकरण जमानतदार की उपस्थित एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत है। जमानतदार शिवराम सिंह के पुत्र त्रिमुबन सिंह निवासी मनहढ़ द्वारा उपस्थित होबर एक आवेदन इस आशय का प्रस्तृत किया कि उनके पिता द्वारा रामनारायण की जमानत दी गई थी। उनके पिता की मृत्यु हो चुकी है तथा वह आठ भाई है। जमानत देने के संबंध में कम से कम राशि से समह्यूत किये जाने का निवंदन किया है। उसके साम पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित प्रति एवं ग्राम पंचायत का पंचनामा प्रस्तत किया गया। ए०डी०पी०ओ० को सुना गया। प्रकरण न्यायालय जे०एम०एफ०सी० गोहद के दाण्डिक प्रकरण क0 385/90 में अमियुक्त रामनारायण की उपस्थित हेतु पावंद जमानत 2500/- रूपए के संबंध में जगानतदार शिवराम सिंह द्वारा जमानत दी गई थी, किन्तु नियत दिनांक को उपस्थित न रखे जाने से धारा 446 दप्रस के अधीन 13,06.1991 को कार्यवाही प्रारंभ की गई। जमानतदार की मृत्यु प्रमाण पत्र अनुसार वर्ष 2005 में हो चुकी है। साथ ही मूल प्रवरण 385/90 के संबंध में कोई अमिलेंख से जानकारी प्राप्त नहीं हो पा रही है। संभवतः इतना प्राचीन प्रकरण वर्तमान तक लंबित होना संभव प्रतीत नहीं होता है। धारा 446 दंप्रस के अधीन जमानतदार का पुत्र त्रिमुवनसिंह उपस्थित हुआ है जो कि उसके पिता की मृत्यु हो जाने एवं आठ भाई होने की कथन कर रहा है। ऐसी दशा में प्रकरण के अतिप्राचीन होने के तथ्य की ध्यान में रखते हुए और लंबित रखे जाने का कोई औचित्य दर्शित नहीं होता। अतः जमानतदार की सम्पत्ति से 20/- रूपए समहूपत किये जाने का आदिश किया जाता है। शेष राशि मुका की जती है। त्रिमुवन सिंह ने 200/- रूपए की राशि जमा करने की निवेदन किया है आतः उक्त राशि जमा की जाये। रिसीद क0 29 बुक क0 6909 पर 200/- रूपए की राशि जमा की गई। प्रकरण में अन्य कोई कार्यवाही शेष नहीं। अतः प्रकरण का परिणाम सुसंगत अमलेख में दर्ज कर अम्रिलेखागार प्रेषित हो (A.ttQGupta) udicial Magistrate First Class Gohad distt.Bhind (M.P.)